


कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्वर

थी श्री दीलतसिंह बनाम विपक्षी श्री पद्यसिंह

स मुकदमा नं. प. (धारा-212 R.T.A.) प्रकरण संख्या 25/2010

	कार्यवाही विवरण	
<p>04/11/25</p>	<p>पत्रा पेश हुई। अध्यापक उपास्यित। प्रकरण के मूलवाक प्रकरण संख्या - 37/2010 श. वा. डिफेंडी से जाने से उपलब्ध प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-212 R.T.A. में कोई कार्यवाही क्रोड नहीं रहती है।</p> <p>अतः प्रार्थना का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-212 R.T.A. का मूलवाक निस्तारित हो जाने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली केसल नुमा देकर दायित्व दफ्तर ही आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलक्टर सलूम्वर जिला सलूम्वर </p>	